न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित–प्रमोद कुमार यादव, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सत्र वाद सं0–1318 / 2025

श्यामबाबु बिंद उर्फ जहाज जी बनाम बिहार राज्य

आदेश

बाद में

04.05.2026 बेउर थाना कांड संख्या 61 / 2025 अंतर्गत धारा 140(2) भारतीय न्याय संहिता से उत्पन्न इस सत्र वाद में आवेदक अभियुक्त श्यामबाबु बिंद उर्फ जहाज जी, पिता–स्व0 रामलगन बिंद के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख अवलोकन किया।

प्राथमिकी अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि दिनांक 30.01.2025 को सूचिका के पति विपीन कुमार के मोबाईल पर लगभग 08.00 बजे दिन में काम देखने के लिए फोन आया और सूचिका के पति काम देखने की बात कहकर चले गये। सूचिका के पति लकड़ी का काम करते थे। उसके बाद पुनः एक घंटा बाद सूचिका द्वारा फोन किया गया तो 10 मिनट में आने की बात कहे और शाम में सूचिका द्वारा फोन लगाया गया तो उसका फोन बंद बताने लगा। सूचिका द्वारा अपने आस–पास तथा रिश्तेदारों में पता किया गया, परन्तु कोई पता नहीं चला।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक इस मामले में दिनांक 02.02.2025 न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसका नियमित जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या–56648 / 2025 में दिनांक 17.10.2025 को पारित आदेश से खारिज है। आवेदक के विरूद्ध शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 316 / 2016 अंतर्गत धारा 272, 273, 414 भा0द0स0 एवं 47ए उत्पाद अधिनियम दर्ज है। आवेदक निर्दोष है उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विचारण के दौरान इस मामले में 03 साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष हुआ है तथा अनुसंधानक का मुख्य परीक्षण हुआ है। आवेदक का नाम इस मामले में संदेह के आधार पर आया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि अनुसार बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि सूचिका के पति को जिस मोबाइल से फोन करके बुलाया गया, वह फोन आवेदक के कब्जे से बरामद हुआ है। आवेदक पर सूचिका के पति के हत्या में शामिल रहने का आरोप है। संस्वीकृति बयान में आवेदक ने अपराध किया जाना स्वीकार किया

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित–प्रमोद कुमार यादव, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सत्र वाद सं0–1318 / 2025

श्यामबाबु बिंद उर्फ जहाज जी बनाम बिहार राज्य

है। आवेदक का जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना से खारिज है तथा वर्तमान में यह अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है। अतः निवेदन है कि आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी की कंडिका 54, 55, 56, 57, 58 एवं 120 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक अपने बेटे के मोबाइल नं0 7209642512 का इस्तेमाल कर रहा था, मृतक के साथ लगातार संपर्क में था और साथ ही उन आरोपियों के साथ भी लगातार संपर्क में था, जिस पर सूचिका के पति की हत्या करने का आरोप है। संस्वीकृति बयान में आवेदक अभियुक्त ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। अनुसंधानोपरांत आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। इस मामले का विचारण लगभग अंतिम चरण में है तथा आवेदक का पूर्व में जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या–56648 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 से खारिज किया जा चुका है। अभिलेख के इस प्रक्रम पर आवेदक को जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त आवेदक अभियुक्त के साथ के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(प्रमोद कुमार यादव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
पटना

निर्णय / आदेश की तिथि	04.05.2026
निर्णय / आदेश आरक्षित करने की तिथि	––
अपलोडिंग तिथि	05.05.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक